



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5706

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45140 / 2025

वारिसआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रियंका उपाध्याय, राजीव गोस्वामी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव गोस्वामी के सहायक अधिवक्ता श्री संकल्प गोस्वामी, तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विकास सहाय को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 306 / 2024, बी.एन.एस. की धारा 103(1) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के अधीन, थाना - नखासा, जिला - संभल में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। उसका नाम एक मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि देशी निर्मित पिस्तौल की एक झूठी बरामदगी उस पर थोपी गई है। आवेदक 25.01.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों और इस तथ्य को कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, विवादित नहीं कर पाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता पर विचार करते हुए और यह भी विचार करते हुए कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है और उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, प्रथम दृष्ट्या मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक वारिस, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

सिद्धांत